पत्र संख्या-1/प्रा0आ0-0-3-36/17....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0

अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

अररिया/ पूर्णियाँ/ किशनगंज /कटिहार / सीतामढ़ी/ पूर्वी चम्पारण/ पश्चिम चम्पारण/ मुजफ्फरपुर/ मधुबनी/ दरभंगा/ सहरसा/ सुपौल।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–112– जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष–0002– जनसंख्या का निष्क्रमण, विपत्र कोड–39–2245021120002 के अन्तर्गत कुल ₹ 900.00 लाख (नौ करोड़ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–112– जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष–0002– जनसंख्या का निष्क्रमण मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघु शीर्ष –112– जनसंख्या का निष्क्रमण मॉंग संख्या-39

उपशीर्ष -0002– जनसंख्या का निष्क्रमण ।

विस्तृत शीर्ष-35-राहत, विषय शीर्ष-01 नगद /वस्तु ।

(राशि रूपये लाख में)

क्र०	जिला	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017–18)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2017–18)
1.	2.	3	4	5
1	अररिया	170.00 (एक करोड़ सत्तर लाख)	100.00 (एक करोड)	270.00 (दो करोड़ सत्तर लाख)
2	पूर्णियाँ	275.00 (दो करोड़ पचहत्त लाख)	100.00 (एक करोड)	375.00 (तीन करोड पचहत्तर लाख)
3	किशनगंज	170.00 (एक करोड़ सत्तर लाख)	100.00 (एक करोड)	270.00 (दो करोड़ सत्तर लाख)
4	कटिहार	174.581 (एक करोड़ चौहत्तर लाख अनठावन हजार एक सौ)	100.00 (एक करोड)	274.581 (दो करोड़ चौहत्तर लाख अनठावन हजार एक सौ)
5	सीतामढ़ी	170.00 (एक करोड़ सत्तर लाख)	75.00 (पचहत्तर लाख)	245.00 (दो करोड़ पैतालीस लाख)
6	पूर्वी चम्पारण	150.00 (एक करोड़ पचास लाख)	75.00 (पचहत्तर लाख)	225.00 (दो करोड़ पचीस लाख)
7	पश्चिम चम्पारण	130.00 (एक करोड़ तीस लाख)	75.00 (पचहत्तर लाख)	205.00 (दो करोड़ पाँच लाख)
8	मुजफ्फरपुर	110.00 (एक करोड़ दस लाख)	75.00 (पचहत्तर लाख)	185.00 (एक करोड़ पचासी लाख)
9	मधुबनी	150.00 (एक करोड़ पचास लाख)	50.00 (पचास लाख)	200.00 (दो करोड़)

10	दरभंगा	140.00 (एक करोड़ चालीस लाख)	50.00 (पचास लाख)	190.00 (एक करोड़ नब्बे लाख)
11	सहरसा	80.00 (अस्सी लाख)	50.00 (पचास लाख)	130.00 (एक करोड़ तीस लाख)
12	सुपौल	170.00 (एक करोड़ सत्तर लाख)	50.00 (पचास लाख)	220.00 (दो करोड़ बीस लाख)
कुल योग		1889.581 (अठारह करोड़ नवासी लाख अनठावन हजार एक सौ)	900.00 (नौ करोड़)	2789.581 (सताईस करोड़ नवासी लाख अनठावन हजार एक सौ)

4. यह आवंटन आसन्न बाढ़ के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने हेतु उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

7. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णत: व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.08 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

12. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

13. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

अपर सचिव

मुख्यशीर्ष– 2245–02–112–0002– जनसंख्या का निष्क्रमण, पत्रांक 74 दिनांक 26/8/17

ज्ञापांक-../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक -../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक ....74......................./आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 26/8/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना)-सह- प्रभारी सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/17

अपर सचिव